## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 667(अ).**— केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, माल की अंतरराज्यिक पूर्तियों पर, जिनका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है ।

## अनुसूची

| क्रम सं0 | अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष टैरिफ मद | माल का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 0101 | जीवित,गधे,खच्चर और हिन्नी |
| 2. | 0102 | जीवित गोकुलीय प्राणी |
| 3. | 0103 | जीवित सुअर |
| 4. | 0104 | जीवित भेड़ और बकरे |
| 5. | 0105 | जीवित कुक्कुट अर्थात् गैलस घरेलू जाति के मुर्गे, बतख़,हंस, टर्कीऔर गिनि मुर्गे |
| 6. | 0106 | अन्य जीवित प्राणी जैसे स्तनपायी, पक्षी, कीट |
| 7. | 0201 | गोकुलीय प्राणी का मांस, ताज़ा और द्रुतशीतित |
| 8. | 0202 | गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 9. | 0203 | सुअर का मांस, ताज़ा,द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 10. | 0204 | भेड़ या बकरे का मांस, ताजा,द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 11. | 0205 | अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी का मांस ताजा,द्रुतशीतित या हिमशीतित[हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 12. | 0206 | गोकुलीय प्राणी, सुअर, भेड़, बकरे,अश्व, गधे, खच्चर या हिन्नी के खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 13. | 0207 | शीर्ष 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट,ताजा,द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 14. | 0208 | अन्य मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट,ताजा,द्रुतशीतित या हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 15. | 0209 | चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्शित, ताजा,द्रुतशीतित, हिमशीतित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |
| 16. | 0209 | चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या निष्कर्शित, लवणित, लवण जल में रखा शुष्कित या धूमित [हिमशीतित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ है] |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | 0210 | मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण, जल में रखा, शुष्कित या धूमित, मांस या मांस अवशिष्ट, से भिन्न इकाई आधान में रखे जाएंगे |
| 18. | 3 | मछलीबीज, झींगा/झींगी बीज़ जो पृसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित अवस्था में हैं या नहीं [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले ऐसे मालों से भिन्न, जिन पर 2.5 प्रतिशत कर लागू है] |
| 19. | 0301 | जीवित मछली |
| 20. | 0302 | मछली, ताज़ी या द्रुतशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष 0304 के मछली कतले और अन्य मछली मांस नहीं है |
| 21. | 0304 | मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे टुकड़े किया गया या नहीं), ताजी या द्रुतशीतित |
| 22. | 0306 | क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, जीवित, ताजी या द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया कवच युक्त, जो भापन या जल में उबालकर पकाई गई है, जीवित, ताज़ी या द्रुतशीतित |
| 23. | 0307 | मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं जीवित, ताजी,द्रुतशीतित; क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित |
| 24. | 0308 | क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित, ताजे, द्रुतशीतित |
| 25. | 0401 | अल्ट्रा उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर ताज़ा दूधऔर पास्तुरीकृत दूध,जिसके अंतर्गत पृथक दूध, दूध और क्रीम हैं, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं हैं। |
| 26. | 0403 | दही;लस्सी छाछ |
| 27. | 0406 | छैना या पनीर, उनसे भिन्न, जो इकाई आधान में रखे गए हैंऔर जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो |
| 28. | 0407 | पक्षियों के अंडे कवच युक्त, ताजे, परिरक्षित या पकाए हुए |
| 29. | 0409 | इकाई आधान में रखे गए से भिन्न, प्राकृतिक मधु जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम हो |
| 30. | 0501 | मानव केश, अकर्मित, चाहे धुले या अभिमार्जित हैं या नहीं ; मानव केश के अपशिष्ट |
| 31. | 0506 | सभी माल अर्थात् हड्डियां और सींग क्रोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत, केवल निर्मित (किन्तु आकार में आकर्तित) अम्लोपचारित या अजिलेटिवीकृत हैं, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट |
| 32. | 0507 90 | सभी माल अर्थात् खुर अवचूर्ण; सींग अवचूर्ण ; खुर, नखर, नख, और चोंच ; मृगशश्रृंग; आदि |
| 33. | 0511 | शुक्र जिसके अंतर्गत हिमशीतित शुक्र भी है |
| 34. | 6 | जीवित वृक्ष और अन्य पौधे, कंद, जड़ें और वैसी ही चीज़ें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत पर्ण समूह |
| 35. | 0701 | आलूताजे या द्रुतशीतित |
| 36. | 0702 | टमाटर ताजे या द्रुतशीतित |
| 37. | 0703 | प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लशुनी वनस्पतियां ;ताजी या द्रुतशीतित |
| 38. | 0704 | बंदगोभी, फूलगोभी, कोहल्रबी, केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित |
| 39. | 0705 | लेट्यूस (लैक्टूका सैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां ), ताजे या द्रुतशीतित |
| 40. | 0706 | गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, सेलसिफी, सेलेरिऐक मूली और वैसी ही खाद्य जड़ें ताजी या द्रुतशीतित |

| | | |
|---|---|---|
| 41. | 0707 | खीरादि और घेरकिन, ताजे या द्रुतशीतित |
| 42. | 0708 | कवचयुक्त या कवचरहित फलीदार वनस्पतियां, ताजी या द्रुतशीतित |
| 43. | 0709 | अन्य वनस्पतियां,ताजी या द्रुतशीतित |
| 44. | 0712 | शुष्क वनस्पतियां जो साबुत,कर्तित, कतरी गई या चूर्णित हैं,किन्तु और निर्मित नहीं हैं |
| 45. | 0713 | शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं |
| 46. | 0714 | मेनिओक, अरारुट, सेलद, जेरूसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़े और कंद जिनमें स्टार्च या इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजे या द्रुतशीतित ; साबुदाने कापिथ |
| 47. | 0801 | नारियल, ताजे या शुष्कित चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं |
| 48. | 0801 | ब्राजील नट, ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं या नहीं |
| 49. | 0802 | अन्य दृढ फल ताजे, जैसे कि बादाम, हेज़लनट या फिलबर्ट, (कोरिअस सभी प्रजातियां), अखरोट, चेस्टनट (कास्टानिया सभी जातियां), एरिका नटस् ताजे चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हैं अथवा नहीं |
| 50. | 0803 | केले, जिसके अंतर्गत कदली भी है,ताजे या शुष्कित |
| 51. | 0804 | छुहारा, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मेंगोस्टीम, ताजे |
| 52. | 0805 | निम्बुकुल फल,जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन,विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुलआरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), ताजे |
| 53. | 0806 | अंगूर, ताजे |
| 54. | 0807 | तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज है) और पपीते, ताजे |
| 55. | 0808 | सेब, नाशपती और क्विन्स, ताजे |
| 56. | 0809 | खुमानी, चैरी, आड़ु (जिसके अंतर्गत शफतालू हैं), आलू बुखारा और स्लो, ताजे |
| 57. | 0810 | अन्य फल जैस की स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैक बेरी, शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद या लाल किशमिश तथा गूज़बेरी, करोंदा, बिलबेरी,और वैक्सीनियम वंश के अन्य फल,कीवी फल, डयूरियन्स,पर्सिमोन्स, अनार, इमली, सपोटा, (चीकू), शरीफा (अटा), बोर, लीची, ताजे |
| 58. | 0814 | निम्बुकुल फल या तरबूजादि (जिसके अंतर्गत तरबूज़ भी हैं) के छिलके, ताजे |
| 59. | 9 | बीज किस्म के सभी माल |
| 60. | 0901 | कॉफी बीन्स, अभर्जित |
| 61. | 0902 | चाय की अप्रसंस्करित हरी पत्तियां |
| 62. | 0909 | सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज; हपुषा बेरी (की बीज क्वालिटी) |
| 63. | 0910 11 10 | ताजी अदरक, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न |
| 64. | 0910 30 10 | ताजी हल्दी, प्रसंस्कृत रूप से भिन्न |
| 65. | 1001 | गेहूं और मेसलीन [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 66. | 1002 | राई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 67. | 1003 | जौ [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड |

| | | |
|---|---|---|
| | | नाम है] |
| 68. | 1004 | जई [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 69. | 1005 | मक्का (कार्न) [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 70. | 1006 | चावल [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 71. | 1007 | ज्वारादि [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 72. | 1008 | कुट्टु, मिलेट और कैनेरी बीज़ ; अन्य धान्य जैसे ज्वार, बाजरा, रागी [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 73. | 1101 | गेहूं या मेसलीन का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 74. | 1102 | गेहूं या मेसलीन के आटे से भिन्न,धान्य आटा [मक्का (कार्न) आटा, राई आटा, आदि][उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 75. | 1103 | धान्य, दलिया, अवचूर्ण और गुटिका [उनसे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 76. | 1104 | धान्य दाना, तुष निकाले गए |
| 77. | 1105 | आलू का आटा [उससे भिन्न जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 78. | 1106 | शीर्ष 0713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का आटा[1106 10 10 के गवार अवचूर्ण और 1106 10 90 के गवार गोंद परिष्कृत से भिन्न], साबूदाने या 0714 शीर्ष की जड़ों या कंदों या अध्याय 8 के उत्पादों अर्थात् हल्दी, सिंगाड़े का आटा,आम का आटा आदि [उससे भिन्न जिसे किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिसका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 79. | 12 | बीज क्वालिटी के सभी माल |
| 80. | 1201 | सोयाबीन, चाहे टूटी है अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 81. | 1202 | मूंगफली, जो भर्जित अन्यथा पकाई गई नहीं है,चाहे कवच रहित या टूटी हुई अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की |
| 82. | 1204 | अलसी, चाहे टूटी हुई अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की |
| 83. | 1205 | तोरिया या कोल्जा बीज़, चाहे टूटे हैं अथवा नहीं, बीज क्वालिटी की |
| 84. | 1206 | सूर्यमुखी के बीज़ चाहे टूटे हैं अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की |
| 85. | 1207 | अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (अर्थात् ताड़फल और गिरी, बिनौले, एरंड के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (करथोमस टिंकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजाम्स, आमगुठली, नाइजर बीज, कोकम) चाहे टूटे हों अथवा नहीं,बीज क्वालिटी की |
| 86. | 1209 | बीज, फल और किसी प्रकार के बीजाणू,जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं |
| 87. | 1210 | हाप कोन, ताजे |
| 88. | 1211 | उस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल भी हैं), जिनका उपयोग मुख्यत: सुगंध सामग्री, फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदीनाशी के लिए या वैसे ही |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ताजे या द्रुतशीतित |
| 89. | 1212 | लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना,ताजे या द्रुतशीतित |
| 90. | 1213 | धान्य पुआल और भूसी, अनिर्मित चाहे काटी हुई, दलित, दावित या गुटिका के रूप में है अथवा नहीं |
| 91. | 1214 | स्वीडन का शलजम, मंगोल्ड, चारे की जड़ें, सूखी घास, रिजका (अल्फाफा), क्लोवर, सेनफोइन, हरा चारा काले, ल्यूपिन,वैचिस और वैसा ही हरा चारा उत्पाद, चाहे वे गुटिका के रूप में हैं या नहीं |
| 92. | 1301 | लाख और शल्क लाख |
| 93. | 1404 90 40 | पान के पत्ते |
| 94. | 1701 या 1702 | सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़) और पालमिरा गुड़ सम्मिलित है |
| 95. | 1904 | फुला हुआ चावल, जो समान्यत: मुरी के नाम से ज्ञात है,सपाटित या कुटा हुआ चावल, जो समान्यत: च्यूड़ा के नाम से ज्ञात है,सूखा चावल,जो समान्यत: खोई के नाम से ज्ञात है,सूखा धान या चीनी अथवा गुड़ से विलेपित चावल, जो समान्यत: मुर्की के नाम से ज्ञात है, |
| 96. | 1905 | पापड़,चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए दिए जाते हैं |
| 97. | 1905 | डबल रोटी (ब्रांड़ीकृत या अन्यथा) सिवाय तब के जब उसे उपभोग के लिए और पिज्जा ब्रेड के रूप में रखा जाता है । |
| 98. | 2106 | मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों जैसे धार्मिक स्थानों पर दिया जाने वाला प्रसाद |
| 99. | 2201 | जल [वातित,खनिज, शुद्धीकृत, आसवित, चिकित्सीय, आयनिक, बैटरी, विखनिजीकृत और सीलबंद आधानों में विक्रय किए जाने वाले जल से भिन्न] |
| 100. | 2201 | गैर अल्कोहाली टोडी, नीरा, जिसके अंतर्गत खजूर और पाम नीरा भी है |
| 101 | 2202 90 90 | युनिट आधान में रखे हुए और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम वाले मृदु नारियल जल से भिन्न |
| 102. | 2302, 2304, 2305, 2306,2308, 2309 | जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक |
| 103. | 2716 00 00 | विद्युतीय ऊर्जा |
| 104. | 2501 | नमक, सभी किस्मों के [2501] |
| 105. | 2835 | भारतीय मानक विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप पशु खाद्य ग्रेड का डाईकैलशियम फ़ास्फेट (डीसीपी) |
| 106. | 3002 | मानव रक्त और उसके संघटक |
| 107. | 3006 | सभी प्रकार के गर्भ निरोधक |
| 108. | 3101 | सभी माल और आर्गेनिक खाद [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है] |
| 109. | 3304 | काजल [काजल पैंसिल स्टिकों से भिन्न], कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आल्ता |
| 110. | 3825 | नगर पालिक अपशिष्ट, मल स्लज, नैदानिक अपशिष्ट |
| 111. | 3926 | प्लास्टिक चूड़ियां |
| 112. | 4014 | कंडोम और गर्भनिरोधक |
| 113. | 4401 | जलावन काष्ठ, ईंधन काष्ठ |
| 114. | 4402 | काष्ठ चारकोल (जिसके अंर्तगत कोष या दृढफल चारकोल भी है), चाहे वह संपीड़ित है अथवा नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| 115. | 4802/4907 | न्यायिक, न्यायेतर स्टांप पेपर, न्यायालय फीस स्टांप, जब उनका सरकारी खजाने या सरकार द्वारा प्राधिकृत विक्रताओं द्वारा विक्रय किया जाए |
| 116. | 4817/4907 | डाक संबंधी मदें जैसे सरकार द्वारा विक्रीत लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि |
| 117. | 48/4907 | रुपये के नोट, जब उनका विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाए |
| 118. | 4907 | चैक, खुली हुई या पुस्तक रूप में |
| 119. | 4901 | मुद्रित पुस्तकें, जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें भी हैं |
| 120. | 4902 | समाचार पत्र, पत्रिकाए, नियत कालिक पत्रिकाएं, चाहें चित्रनिरुपित हों अथवा नहीं या चाहे उनमें विज्ञापन सामग्री हो अथवा नहीं |
| 121. | 4903 | बालकोंके लिए चित्र, ड्राइंग या रंगकारी पुस्तकें |
| 122. | 4905 | सभी प्रकार के मानचित्र ओर जलराशिक या वैसे ही चार्ट, जिनके अंतर्गत एटलस, दीवारमानचितत्र, स्थलाकृतिक रेखांक और ग्लोब हैं, मुद्रित |
| 123. | 5001 | रेशम कीट रखना, कोया |
| 124. | 5002 | अपरिष्कृत रेशम |
| 125. | 5003 | रेशम अपशिष्ट |
| 126. | 5101 | ऊन, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है |
| 127. | 5102 | सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम, जो धूनित या कंकतकृत नहीं है |
| 128. | 5103 | ऊन या सूक्ष्म या स्थूल प्राणी रोम के अपशिष्ट |
| 129. | 52 | गांधी टोपी |
| 130. | 52 | खादी सूत |
| 131. | 5303 | जूट रेशे, कच्चे या प्रसंस्कृत किन्तु अव्युतित नहीं |
| 132. | 5305 | नारियल, कयर रेशे |
| 133. | 63 | भारतीय राष्ट्रीय ध्वज |
| 134. | 6703 | मानव केश, प्रसाधित, तनुकृत, वरंजित या अन्यथा कर्मित |
| 135. | 6912 00 40 | मिट्टी के बर्तन और मृतिका लैंप |
| 136. | 7018 | कांच की चूड़ियां, (बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों के सिवाय) |
| 137. | 8201 | मानवीय रूप से प्रचालित या पशुओं द्वारा चालित उपकरण अर्थात् हाथ के औजार जैसे फावड़े, शावल, गैंती, कुदाल, हो, कांटे और पंजे ; कुल्हाड़ी, बांका और वैसे ही काटने के औजार, किसी भी प्रकार के कैंचा ; और कलम कैंची, दराती हंसिए, घास कर्तित्र, झाड़ समाकर्तित्र, प्रकाष्ठफान और अन्य औजार,जिनका कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है |
| 138. | 8445 | अंबर चरखा |
| 139. | 8446 | हथकरघा (व्यूतन मशीन) |
| 140. | 8802 60 00 | अंतरिक्ष यान (जिसके अंतर्गत उपग्रह भी हैं) और उपकक्षीय तथा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान |
| 141. | 8803 | शीर्ष सं0 8801 के माल के पुर्जे |
| 142. | 9021 | श्रवण सहायिकी |
| 143. | 92 | देशीहस्तनिर्मित वाद्य यंत्र |
| 144. | 9603 | सरकंड़ें और फूल बहारी झाड़ू से बने मोढ़े |

| | | |
|---|---|---|
| 145. | 9609 | स्लेट पैंसिलें और चाक स्टिक |
| 146. | 9610 00 00 | स्लेटें |
| 147. | 9803 | यात्री सामान |
| 148. | अन्य अध्याय | पूजा सामग्री, अर्थात् :--<br>(i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय के गोबर, देशी घी, दूध और दही का मिश्रण) ;<br>(ii) पवित्रधागा (जो सामान्यत: यज्ञोपवीत के नाम से ज्ञात है);<br>(iii) लकड़ी की खड़ाऊं ;<br>(iv) पंचामृत ;<br>(v) धार्मिक संस्थाओं द्वारा विक्रीत भभूति ;<br>(vi) अब्रांडीकृत शहद [प्रस्तावित जी.सी.टी. शून्य];<br>(vii) दीये के लिए बाती ;<br>(viii) रोली ;<br>(ix)कलावा (रक्षासूत्र) ;<br>(x)चंदन टीका । |
| 149. | - | राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लाटरी का पूर्ति, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी लाटरी की पूर्ति पर, जब इसकी पूर्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियुक्त लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को की जाती है, समुचित, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर भुगता है । |

**स्पष्टीकरण**— इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,--

(i) "इकाई आधान" पद से कोई ऐसा पैकेज, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (उदाहरणार्थ टिन, केन बाक्स, जार, बोतल, थैला या कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर) अभिप्रेत है, जो ऐसे पूर्व अवधारित मात्रा या संख्या जो ऐसे पैकेज पर उपदर्शित की गई है, रखने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ii) "रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम" पद से ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है, और जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

(iii) ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(iv) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 2/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 667(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby exempts inter-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Good and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).

**SCHEDULE**

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 0101 | Live asses, mules and hinnies |
| 2. | 0102 | Live bovine animals |
| 3. | 0103 | Live swine |
| 4. | 0104 | Live sheep and goats |
| 5. | 0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. |
| 6. | 0106 | Other live animal such as Mammals, Birds, Insects |
| 7. | 0201 | Meat of bovine animals, fresh and chilled. |
| 8. | 0202 | Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 9. | 0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 10. | 0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 11. | 0205 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 12. | 0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 13. | 0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 14. | 0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 15. | 0209 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container] |
| 16. | 0209 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers] |
| 17. | 0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers |
| 18. | 3 | Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 5%] |
| 19. | 0301 | Live fish. |
| 20. | 0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 |
| 21. | 0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled. |
| 22. | 0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled. |
| 23. | 0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled. |
| 24. | 0308 | Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled. |
| 25. | 0401 | Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk |
| 26. | 0403 | Curd; Lassi; Butter milk |
| 27. | 0406 | Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name; |
| 28. | 0407 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked |
| 29. | 0409 | Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name |
| 30. | 0501 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair |
| 31. | 0506 | All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products |
| 32. | 0507 90 | All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc. |
| 33. | 0511 | Semen including frozen semen |
| 34. | 6 | Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage |
| 35. | 0701 | Potatoes, fresh or chilled. |
| 36. | 0702 | Tomatoes, fresh or chilled. |
| 37. | 0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled. |
| 38. | 0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled. |
| 39. | 0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled. |
| 40. | 0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled. |
| 41. | 0707 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled. |
| 42. | 0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled. |
| 43. | 0709 | Other vegetables, fresh or chilled. |
| 44. | 0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared. |
| 45. | 0713 | Dried leguminous vegetables, shelled,_whether or not skinned or split. |
| 46. | 0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith. |
| 47. | 0801 | Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled |
| 48. | 0801 | Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled |
| 49. | 0802 | Other nuts, Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Coryius spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled |
| 50. | 0803 | Bananas, including plantains, fresh or dried |
| 51. | 0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh. |
| 52. | 0805 | Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | latifolia), fresh. |
| 53. | 0806 | Grapes, fresh |
| 54. | 0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. |
| 55. | 0808 | Apples, pears and quinces, fresh. |
| 56. | 0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh. |
| 57. | 0810 | Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh. |
| 58. | 0814 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh. |
| 59. | 9 | All goods of seed quality |
| 60. | 0901 | Coffee beans, not roasted |
| 61. | 0902 | Unprocessed green leaves of tea |
| 62. | 0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality] |
| 63. | 0910 11 10 | Fresh ginger, other than in processed form |
| 64. | 0910 30 10 | Fresh turmeric, other than in processed form |
| 65. | 1001 | Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 66. | 1002 | Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 67. | 1003 | Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 68. | 1004 | Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 69. | 1005 | Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 70. | 1006 | Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 71. | 1007 | Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 72. | 1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 73. | 1101 | Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]. |
| 74. | 1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 75. | 1103 | Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 76. | 1104 | Cereal grains hulled |
| 77. | 1105 | Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 78. | 1106 | Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name] |
| 79. | 12 | All goods of seed quality |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 80. | 1201 | Soya beans, whether or not broken, of seed quality. |
| 81. | 1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality. |
| 82. | 1204 | Linseed, whether or not broken, of seed quality. |
| 83. | 1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality. |
| 84. | 1206 | Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality. |
| 85. | 1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Saffower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality. |
| 86. | 1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. |
| 87. | 1210 | Hop cones, fresh. |
| 88. | 1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled. |
| 89. | 1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled. |
| 90. | 1213 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets |
| 91. | 1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets. |
| 92. | 1301 | Lac and Shellac |
| 93. | 1404 90 40 | Betel leaves |
| 94. | 1701 or 1702 | Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery |
| 95. | 1904 | Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki |
| 96. | 1905 | Pappad, by whatever name it is known, except when served for consumption |
| 97. | 1905 | Bread (branded or otherwise), except when served for consumption and pizza bread |
| 98. | 2106 | Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc. |
| 99. | 2201 | Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container] |
| 100. | 2201 | Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera |
| 101. | 2202 90 90 | Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name |
| 102. | 2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309 | Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake |
| 103. | 2501 | Salt, all types |
| 104. | 2716 00 00 | Electrical energy |
| 105. | 2835 | Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002 |
| 106. | 3002 | Human Blood and its components |
| 107. | 3006 | All types of contraceptives |
| 108. | 3101 | All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | registered brand name] |
| 109. | 3304 | Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta |
| 110. | 3825 | Municipal waste, sewage sludge, clinical waste |
| 111. | 3926 | Plastic bangles |
| 112. | 4014 | Condoms and contraceptives |
| 113. | 4401 | Firewood or fuel wood |
| 114. | 4402 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated |
| 115. | 4802/4907 | Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government |
| 116. | 4817/4907 | Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government |
| 117. | 48/4907 | Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India |
| 118. | 4907 | Cheques, lose or in book form |
| 119. | 4901 | Printed books, including Braille books |
| 120. | 4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material |
| 121. | 4903 | Children's picture, drawing or colouring books |
| 122. | 4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed |
| 123. | 5001 | Silkworm laying, cocoon |
| 124. | 5002 | Raw silk |
| 125. | 5003 | Silk waste |
| 126. | 5101 | Wool, not carded or combed |
| 127. | 5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed |
| 128. | 5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair |
| 129. | 52 | Gandhi Topi |
| 130. | 52 | Khadi yarn |
| 131. | 5303 | Jute fibres, raw or processed but not spun |
| 132. | 5305 | Coconut, coir fibre |
| 133. | 63 | Indian National Flag |
| 134. | 6703 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked |
| 135. | 6912 00 40 | Earthen pot and clay lamps |
| 136. | 7018 | Glass bangles (except those made from precious metals) |
| 137. | 8201 | Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry. |
| 138. | 8445 | Amber charkha |
| 139. | 8446 | Handloom [weaving machinery] |
| 140. | 8802 60 00 | Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles |
| 141. | 8803 | Parts of goods of heading 8801 |
| 142. | 9021 | Hearing aids |
| 143. | 92 | Indigenous handmade musical instruments |

| S. No. | Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item | Description of Goods |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 144. | 9603 | Muddhas made of sarkanda and phool bahari jhadoo |
| 145. | 9609 | Slate pencils and chalk sticks |
| 146. | 9610 00 00 | Slates |
| 147. | 9803 | Passenger baggage |
| 148. | Any chapter | Puja samagri namely,-<br>(i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsi kanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd);<br>(ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit);<br>(iii) Wooden khadau;<br>(iv) Panchamrit,<br>(v) Vibhuti sold by religious institutions,<br>(vi) Unbranded honey [proposed GST Nil]<br>(vii) Wick for diya.<br>(viii) Roli<br>(ix) Kalava (Raksha sutra)<br>(x) Chandan tika |
| 149. | - | Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be. |

***Explanation*.-** For the purposes of this Schedule,-

(i) The phrase “unit container” means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package.

(ii) The phrase “registered brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person, and which is registered under the Trade Marks Act, 1999.

(iii) “Tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(iv) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.